न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 225/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– शांतिदेवी पत्नी हनुमानसिह जाति राजपुरोहित निवासी ग्राम खाराबेरा पुरोहितान तहसील लूनी, जिला जोधपुर 2– श्री आत्मानंद शिक्षण संस्थान जरिये अधिकृत प्रतिनिधी सचिव. राकेश जांगिड पुत्र पुरणमल जांगिड निवासी गायत्री विहार, रातानाडा जोधपुर		1– नंदकिशोर भण्डारी पुत्र गंगाविशन जाति महेश्वरी निवासी लालसागर, जोधपुर 2– तहसीलदार जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 28–6–2021 जिसे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 27/2019 अनवान नंदकिशोर बनाम तहसीलदार वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री मोती सिह राजपुरोहित अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री जे0 गहलोत अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 30–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान की खातेदारी भूमि ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 324 कुल रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार कालुराम, माणकराम, भंवरलाल, उम्मेदराम, मोहनराम पि0 पांचाराम कुम्हार थे । उक्त मूल खातेदारान से रेस्पो0 संख्या 1 नंदकिशोर ने 3 बीघा जमीन खरीद की जिसके आधार पर नामांतरकरण संख्या 1721 दिनांक 20–7–2006 को दर्ज हुआ । अपीलांट संख्या 1 ने भी इसी खसरे के सह खातेदार पूरणसिह से 3 बीघा ज़मीन ख़रीद की जिसका नामांतरकरण संख्या 5332 दिनांक .5–9–2014 द्वारा इन्द्राज किया गया । अपीलांट संख्या 2 ने सहखातेदार कंवरचंद से रकबा 4 बिस्वा व 4 बिस्वांशी जमीन खरीद की जिसका म्युटेशन संख्या 5189 दिनांक 5–2–2014 को दर्ज हुआ । उक्त खसरा नंबर 324 की भूमि भारत सरकार द्वारा अवाप्त करने की अधिसूचना जारी होने पर अपीलांट द्वारा ऑब्जेक्शन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पेश किया । खसरा नंबर 324 मे मूल खातेदारान द्वारा प्लॉटिंग की हुई है तथा प्लॉटिंग के बाद करीब 80 से 100 लोगो के नाम अलग अलग टुकडो मे खातेदारी दर्ज है परंतु बीघा के नाप मे अपीलांट एवं रेस्पो0 के नाम ही भूमि दर्ज है ।

चूँकि अवाप्ति की अधिसूचना जारी होने के कारण रेस्पो0 संख्या 1 ने [illegible]

के लिए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील पेश की थी जो स्वीकार कर विधिवत सुनवाई हेतु निर्देश दिये गये थे जिस पर प्रकरण दर्ज कर सुनवाई की कार्यवाही चल रही थी इस बीच अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आदेश के अपीलाधीन आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28-6-2021 पारित करते हुए भूमि के सीमांकन बाबत आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 नंदकिशोर ने अपने खातेदारी की झालामण्ड स्थित भूमि की सीमाज्ञान एवं तरमीम करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार जोधपुर ने हल्का पटवारी को सीमांकन के निर्देश दिये जिस पर पटवारी हल्का द्वारा फर्द बनाई गई जिससे रेस्पो0 संतुष्ट नही होने पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 4-2-2019 को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर नई टीम गठित कर सीमांकन हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करावे। जिस पर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने पत्र कमांक/राजस्व/2019/89-90 दिनांक 5-2-19 के द्वारा तहसीलदार जोधपुर को निर्देश दिये कि एक टीम गठित कर रेस्पो0 संख्या 1 के प्रार्थना पत्र मे वर्णित खसरान की भूमियो का माप एवं तरमीम करते हुए रिपोर्ट पेश करे । उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के उक्त प्रशासनिक आदेश दिनांक 5-2-2019 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की, जिस पर न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर ने अपील संख्या 33/2019 शांतिदेवी बनाम नंदकिशोर मे दिनांक 3-4-2019 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 5-2-2019 निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करे तथा दोनो पक्षो को उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के समक्ष दिनांक 15-4-2019 को उपस्थित होने के निर्देश पारित किये गये । जिस पर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी जोधपुर के न्यायालय मे प्रकरण संख्या 27/2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पर दिनांक 22-3-2021 को बहस सुनी गई तथा मजीद बहस हेतु समय चाहते हुए पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 8-4-21 मुकर्रर की गई । उसके पश्चात पत्रावली मे तारीख पेशी कमशः 20-4-21, 13-5-21, 7-7-21 दी गई परंतु इस बीच रेस्पो0 संख्या 1 नंदकिशोर की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28-6-21 को प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर ने पत्रांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28-6-21 के जरिये तहसीलदार जोधपुर को ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 323/2, 323/4, 324, 325/1/1 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमियो के मौके ...

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

दिनांक 7–7–21 से पूर्व प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये ।

इस संबंध मे वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे मुख्य रूप से यही कथन किया कि जब पूर्व मे न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर के निर्णय दिनांक 3–4–2019 के द्वारा अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 5–2–2019 निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशो की पालना किये बिना तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना पुनः पूर्व की भांति आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28–6–21 के जरिये तहसीलदार जोधपुर को ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 323/2, 323/4, 324, 325/1/1 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमियो के मौके पर जाकर उपरोक्त खसरे की भूमि का माप चौक कर सीमांकन के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के दिनांक 7–7–21 से पूर्व प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिये, जिसका कोई पत्रावली की आदेशिका मे उल्लेख नही है और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट को ही उपलब्ध कराई और न ही अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया । यह भी कथन किया कि पत्रावली तो आदेशिका अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की मजीद बहस एवं आदेश मे चल रही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अपीलांट अधिवक्ता ने रेस्पो0 अधिवक्ता की लिखित बहस एवं प्रारंभिक आपत्तियां मे उठाये गये बिन्दु कि एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश की कोई अपील नही होती है इसलिए अपीलांट की अपील को पोषणीय नही बताया है । इस संबंध मे अपीलांट अधिवक्ता ने जवाब मे कथन किया कि न्यायिक कार्यवाही मे एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश क्यो किया गया तथा यह भी कथन किया कि उक्त एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश अपीलांट को सुने बिना पारित किया गया था इसलिए उक्त आदेश को चुनौती दी जा सकती है इसलिए रेस्पो0 अधिवक्ता का उक्त तर्क न्यायसंगत नही है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28–6–21 को निरस्त कर प्रकरण मे प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मे निर्णय पारित कर पक्षकारो को तय कर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पत्रावली मे उनकी ओर से दिनांक 14–10–21 को प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्तियां एवं लिखित बहस को अपीलांट की बहस मे समाहित करने का निवेदन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो को ध्यान मे रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिनांक 28–6–21 को खसरा नंबर 324 के भूमि की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाने बाबत आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित है तथा

रहा है, इस बारे मे अपीलांट ने स्पष्ट नही किया है । वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि विधि का यह सर्वविधित सिद्धान्त है कि केवल उसी आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है जिससे अपीलांट को कोई पीडा या व्यथा हो लेकिन एसा कुछ भी नही हुआ । अपीलांट का उदेश्य केवल तरमीम मे देरी करने की मंशा से तथा रेस्पो0 संख्या 1 को हैरान व परेशान करना है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि अपीलांट ने पूर्व मे न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर मे अपील पेश की थी जिसका दोनो पक्षो की सहमति से अपील मे वर्णित खसरे की भूमि के सीमांकन की स्वीकृति हुई थी एवं जिसका निर्णय दोनो पक्षो की सहमति से दिनांक 3–4–2019 को पारित हुआ था इसलिए अपीलीय न्यायालय के आदेश/निर्देश की पालना मे दिनांक 28–6–2021 का एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश पारित किया गया था, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना बताते हुए कथन किया कि यदि दिनांक 28–6–2021 की पालना रेस्पो0 संख्या 2 तहसीलदार द्वारा की जाती है तो भूमि की स्थिति मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही होगा और न ही रेस्पो0 संख्या 1 भूमि का परिवर्तन कर रहा है जिससे अपीलांट के अधिकारो को प्रभावित करेगा ।

अंत मे वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा अपीलाधीन आदेश को यथावत रखने का निवेदन किया ।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश है तथा अंतिम आदेश भी नही है इसलिए अपीलांट को ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने का अधिकार नही है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने भी तारीख पेशी के बीच मे रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को सुने बिना तथा तारीख पेशी के बीच मे ही जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2021 पारित किया है, वह भी न्यायिक प्रकिया के परे जाकर पारित किया है, वह भी विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो एवं रेस्पो0 की लिखित बहस आदि का अवलोकन एवं अध्ययन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट है कि पूर्व मे उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांक राजस्व/2019/ 89 दिनांक 5–2–2019 के विरूद्ध न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर मे प्रस्तुत हुई अपील संख्या 33/2019 मे पारित निर्णय दिनांक 3–4–2019 के द्वारा अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का आदेश दिनांक 5–2–2019 निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्देशो की पालना किये बिना तथा विधिक प्रकिया अपनाये बिना पुनः पूर्व की भांति आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28–6–21 के जरिये तहसीलदार जोधपुर को ग्राम झालामण्ड तहसील जोधपुर के खसरा नंबर 323/2, 323/4, 324, 325/1/1 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमियो

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के मौके घर जाकर उपरोक्त खसरे की भूमि का माप चौक कर सीमांकन के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की स्पष्ट रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के दिनांक 7–7–21 से पूर्व प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिया, जिसका कोई पत्रावली की आदेशिका मे उल्लेख नही है और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28–6–2021 की प्रति अपीलांट को उपलब्ध कराई जाकर अपीलांट को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया इसलिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर का उक्त आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28–6–21 विधिसम्मत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित नही है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट की उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश कमांक न्यायालय/2021/ 284 दिनांक 28–6–21 निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दक्षिण,जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे दोनो पक्षो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वर्ष 2019 से लंबित प्रकरण का समयबद्ध व विधिवत निस्तारण करे ।

निर्णय आज दिनांक 30–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर